

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार  
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 13/2022

जगरूप सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ़ ।

-- वादी

**बनाम**

1. सरजीत सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. जसवीर कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. वकील सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख साकिन 8 ओ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. डिप्टी सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. सरबजीत कौर पुत्री जरनेल सिंह पत्नी रघुवीर सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 25 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

-- प्रतिवादीगण

**निर्णय**


दिनांक :- 28/11/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 28/11/2022 को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1-2 के नाम वर्णित भूमि चक नं. 7 एलजीडब्ल्यू-बी के खाता सं. 85 के प.नं. 31/289, 32/289 की 4.174 हैक्. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 253/2087 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के 253/2087 हिस्सा भूमि मे व चक 7 एलजीडब्ल्यू-बी के खाता सं. 84 के प.नं. 30/289 की 4.137 हैक्. भूमि मे व चक 7 एलजीडब्ल्यू-बी के खाता सं. 83 के प.नं. 32/286 के किला नं. 3/2, 3/4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 की 1.898 हैक्. भूमि मे व चक 7 एलजीडब्ल्यू-बी के खाता सं. 82 के प.नं. 31/289 के किला नं. 21/.085, 22/.013 की 0.038 हैक्. भूमि मे व चक 7 एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 89 के प.नं. 33/286 के किला नं. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 की 0.063 हैक्. प.नं. 34/284 के किला नं. 1/2, 2/2, 7 ता 9, 10/2, 11 ता 14, 17, 18, 19/2 की 3.072 हैक्. कुल 3.072 हैक्. भूमि मे व चक 7 एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 109 के प.नं. 34/284 के

28/11/2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला नं. 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 19/1, 20, 21/1, 22 ता 24, 25/1, 25/2 की 1.898 हैक्. भूमि मे व चक एलजीडब्ल्यू-ए के खाता सं. 33 के प.नं. 34/284 के किला नं. 3, 4 की 0.506 हैक्. भूमि मे वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3-4 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 5 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1-2 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है । तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन एवं रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 28/1/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवम् पीलीबंगा  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा